


**फर्द अहकाम**

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट, जिला दौसा

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम नियम 26 फार्म 111)

| हुक्म तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>गोपाल वगै० बनाम जितेन्द्र वगै०<br>किस्म मुकदमा:- अपील नामा०<br>प्रकरण संख्या:- 32/2025   | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुक्म की तामील<br>में जारी हुई |
|-------------|--|--|
| 25/03/2026  | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पोजेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति पर अधिवक्ता उभयपक्ष को सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपील पेश करने से पूर्व ही प्रश्नगत नामान्तरण में वर्णित भूमि संपरिवर्तित हो गई है एवं संपरिवर्तन के बाद शीर्षक अपील का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं रहा है तथा शीर्षक अपील में वर्णित भूमि बाबत् अपीलान्टस के हक व अधिकार अपील पेश करने से पूर्व सिविल न्यायालय लालसोट द्वारा तय किये जा चुके हैं। उक्त आदेश अन्तिमता को प्राप्त हो चुका है इसलिये शीर्षक अपील इसी स्तर पर सव्यय खारिज की जावे।</p> <p>अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं:-</p> <p>आरआरटी 2017 (2) Kaushik coop. Building Society (M/s.) Vs. N. Parvathamma &amp; Ors</p> <p>उक्त न्यायिक दृष्टांत में मा० न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-धारा 11 - रेस ज्यूडिकेटा का सिद्धान्त-स्पेशल कोर्ट के समक्ष लम्बित वाद तथा पूर्व निर्णीत वाद में विवादित बिन्दु समान है- पूर्व निर्णीत भूमि छीनने के मामलों में निर्णय अन्तिम हुआ-निर्णीत, रेस ज्यूडिकेटा लागू होगा।"</p> <p>Citation-2025(1) CJ(Civ.)(SC) Cuddalore Powergen Corporation Ltd. Vs. Chemplast Cuddalore vinyls Ltd. &amp; Anr.</p> <p>उक्त न्यायिक दृष्टांत में मा० न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 2, नियम 2- प्रावधान का प्रयोजन-आदेश 2, नियम 2 का प्रयोजन वादों की बहुलता को रोकना है तथा प्रावधान इस सिद्धान्त पर आधारित है कि किसी व्यक्ति को एक ही तथा समान वादकरण के आधार पर दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिये।"</p> <p>अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान रेस्पोजेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रा० प० प्रारंभिक आपत्ति को अस्वीकार कर खारिज फरमाने का निवेदन किया है।</p> <p>हमने अधिवक्ता अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौरपूर्वक मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में पेश किये गये न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि शीर्षक अपील पेश होने से पूर्व सिविल न्यायालय लालसोट द्वारा सरजूदेवी बनाम रामौतार मु०न० 10/08 में अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2024 द्वारा अपीलान्टस का वादपत्र में काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया जोकि अन्तिमता को प्राप्त हो गया। यह स्वीकृत तथ्य है। इसी प्रकार अपील पेश करने से पूर्व ही उक्त भूमि संपरिवर्तित हो चुकी है यह भी दस्तावेजीय साक्ष्य में सिद्ध है। साथ ही न्यायालय द्वारा समान प्रकृति व विषयवस्तु की अन्य 04 अपीलें जिनके मुकदमा नंबर 26/2025, 27/2025, 28/2025, 29/2025 हैं, अस्वीकार कर खारिज की जा चुकी है। न्यायालय की राय में उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत् मेन्टिलिबिलिटी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः रेस्पोजेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपीलान्टस की शीर्षक अपील इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p> |  |

  
 आंत० जिला कलक्टर  
 लालसोट (दौसा)